कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक 65/कले./भू.अभि./अ.भू.अ./2022 कांकेर, दिनांक 24/01/2022

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास शाखा
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र 'प्रदर्श–स' एवं अनुक्रमणिका 1 एवं 2 उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/683/आ.वि./एकलव्य/2021–22 कांकेर दिनांक 02/09/2021

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में आपके द्वारा ग्राम अंजनी तहसील कांकेर में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु 'प्रदर्श–स' में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं Annexure 1 एवं Annexure-2 चाहा गया था।

अतः ग्राम अंजनी तहसील कांकेर में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु 'प्रदर्श–स' में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं Annexure 1 एवं Annexure-2 संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

24-01-2022

अधीक्षक भू–अभिलेख
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

 "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"

क्रमांक 04 दिनांक 24-01-2022

"प्रदर्श–स"

–:प्रमाण पत्र:–

मेसर्स **सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा** के द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला के वन मंडल **कांकेर** के **ग्राम अंजनी** में स्थित **राजस्व वन भूमि खसरा नं. 472 रकबा 4.66 हे.** एवं **खसरा नं. 409 रकबा 6.05 में से रकबा 2.00 हे.** जिसका कुल **रकबा 6.66 हे.** राजस्व वन भूमि है, जिन्हे **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु** उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु **राजस्व वन भूमि खसरा नं. 472 रकबा 4.66 हे.** एवं **खसरा नं. 409 रकबा 2.00 हे.** जिसका कुल **रकबा 6.66 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **निरंक** हे. एवं राजस्व वन भूमि **6.66** हे. कुल **भूमि 6.66 हेक्टेयर** जो **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु** प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा **ग्राम अंजनी तहसील कांकेर में स्थित है**, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **05/12/2021** **(प्रदर्श–"अ")** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन ("प्रदर्श–ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत अंजनी में** ग्राम सभा के अध्यक्ष **श्री विश्राम सिंह नेताम** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **05/12/2021** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
1.	अंजनी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **05/12/2021** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **05/12/2021** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

दिनांक 24/01/2021

नाम (चंदन कुमार)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Annexure-I

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. -------05------------- Date ----24-01-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **6.66 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner Tribal Development Kanker** in Uttar Bastar Kanker district for **The Establishment of Eklavya Model Residential School** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Anjani** villages(S) in **Kanker Tehsils.**

This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.66** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S.**

(b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.

(Chandan Kumar)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Annexure-II

Form II
(For Project other than Linear projects)
Government of
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. -----06------------- Date ---24-01-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s cr No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **6.66** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner Tribal Development Kanker** (name of user agency) For **the Establishment of Eklavya Model Residential School** in Uttar Bastar Kanker District falls within jurisdiction of **Anjani Village in Kanker Tehsil.** This area does not contain any non-forest revenue land.
This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.66** hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Anjani** villages(s) is enclosed as annexure **I**.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the gram sabha present;

(e) The Tank for forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) to the FRA.

Encl.....As above.

(Chandan Kumar)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुभाग स्तर समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण दिनांक 15.12.2021

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत व्यक्तिगत दावे हेतु अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार समिति के सदस्यों ने भाग लिया :–

क्रं.	नाम व पदनाम	अनुभाग स्तरीय समिति
01.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर	अध्यक्ष
02.	अनुविभागीय अधिकारी (वन), कांकेर	सदस्य
03.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर	सदस्य
04.	श्री रोमनाथ जैन (उपाध्यक्ष) जनपद पंचायत कांकेर	सदस्य
05.	श्रीमति ललीता शोरी (सदस्य), जनपद पंचायत नरहरपुर	सदस्य
06.	श्री राजेश भास्कर, (सदस्य), जनपद पंचायत कांकेर	सदस्य

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 अंतर्गत निर्देशानुसार नियमानुसार प्रकरण प्राप्त हुये हैं :–

क.	तहसील का नाम	व्यक्तिगत प्रकरण	सामुदायिक वन अधिकार प्रकरण	सामुदायिक वन संसाधन
1.	कांकेर	07	0	रोडे
2	नरहरपुर	0	0	0
कुलः–		07	0	01

अतः कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) पत्र कमांक 1114/आ.वि./वन अधि. कांकेर, दिनांक 20.10.2021 में दिये गये बिंदु अनुसार नियमों को पूर्ण करते हुये प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति की ओर सादर प्रेषित।

1/ कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्वयालय हेतु ग्राम अंजनी तहसील कांकेर ग्रामसभा द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र 'प्रदर्श-ब' चाही गई है। खसरा नंबर 472 रकबा 4.66 हे. एवं खसरा नं. 409 रकबा 6.05 हे. में से 2.00 हे. कुल 6.66 हे. राजस्व वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्वयालय अंजनी हेतु नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत अंजनी के विशेष ग्रामसभा कार्यवाही विवरण एवं प्रदर्श ब प्राप्त हुआ है। अतः नियमानुसार उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

2/ कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्वयालय हेतु ग्राम सुरही तहसील नरहरपुर ग्रामसभा द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र 'प्रदर्श-ब' चाही गई है। खसरा नंबर 468/1 रकबा 7.52 हे. में से 6.50 हे. राजस्व वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्वयालय सुरही हेतु नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत सुरही के विशेष ग्रामसभा कार्यवाही विवरण एवं प्रदर्श ब प्राप्त हुआ है। अतः नियमानुसार उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

सदस्य
वन अधिकार समिति
जनपद उपाध्यक्ष कांकेर

सदस्य
वन अधिकार समिति
जनपद सीईओ नरहरपुर

सदस्य
वन अधिकार समिति
उप वन मं.अधि. कांकेर

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
अनु.अधि. (रा.) कांकेर

सदस्य
वन अधिकार समिति
जनपद पंचायत कांकेर

सदस्य
वन अधिकार समिति
जनपद पंचायत नरहरपुर

केर